पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-16/2017......5348........./जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक......8-8-19.........

विषय:- **दिव्यांगजन (नि:शक्त व्यक्ति) अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके **पत्रांक-825/आ०नि०को०, दिनांक-22.07.2019** के आलोक में सूचित करना है कि दिव्यांगजन (नि:शक्त व्यक्ति) अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित वादों के संचालनार्थ सिवान एवं जहानाबाद जिले के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष जिलों में नियमित नियुक्ति होने तक संबंधित वादों के संचालन हेतु संबंधित जिले के लोक अभियोजक को प्राधिकृत किया गया है।

सुलभ प्रसंग हेतु विभागीय **पत्रांक-4774, दिनांक-10.07.2019** संलग्न की जाती है।

अनु0:यथोक्त।

विश्वासभाजन
सुरेन्द्र कुमार 6/8/19
(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

E:\Seema Tiwari\Rajeev Sir\C.A.S.Docx

पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-16/2017................जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी, बिहार
(सिवान एवं जहानाबाद को छोड़कर)।

पटना, दिनांक-..................

विषय:- दिव्यांगजन (निःशक्त व्यक्ति) अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु लोक अभियोजक को प्राधिकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:- **Writ Petition (Civil) No.-116 of 1998 Justice Sunanda Bhandare Foundation Versus Union Of India & Ors** से संबंधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) का पत्रांक-503, दिनांक-11.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि आपके जिला में दिव्यांगजन (निःशक्त व्यक्ति) अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। ऐसी नयी नियुक्ति होने तक लोक अभियोजक को उक्त वादों के संचालन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-......4774......../जे0, पटना, दिनांक-....10.07.19.......

प्रतिलिपि:- सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार (सिवान एवं जहानाबाद को छोड़कर)/सभी लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, बिहार (सिवान एवं जहानाबाद को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

E:\Anil Kumar\Law Department 7\Akhilesh Kuma Jain.Docx